

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ४॥४ /2019

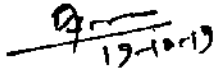
दिनांक : 19.10.2019

सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर को दिनांक 30.10.2019 से 02.11.2019 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 25.10.2019 से 29.10.2019 एवं 03.11.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से


19.10.2019

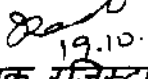
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/43/2016/ ७४४७

दिनांक : 19.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को उनके पत्रांक 10425 दिनांक 09.10.2019 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री साक्षी चौधरी (RJ1055), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर ।
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर ।
5. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट. प्रकरण) क्रम-12, जयपुर महानगर ।


19.10.2019
सहायक रजिस्ट्रार